

Court No. - 11

Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 11349 of 2023

Applicant :- Jagat Narain And 2 Others

Opposite Party :- State Of U.P. Thru. Prin.Secy. Home Deptt.
And Another

Counsel for Applicant :- Kapil Kumar Bhargava

Counsel for Opposite Party :- G.A.

Hon'ble Saurabh Lavania,J.

Heard Sri Kapil Kumar Bhargava, learned counsel appearing for the applicants, learned AGA for the State of U.P. and perused the record.

By means of present applicant under Section 482 Cr.P.C., the applicants have assailed the order dated 12.10.2023 passed in Sessions Trial No. 1384 of 2001 (State of U.P. vs. Laxmi Narain and others) in Case No. 304/2000, under Sections 498-A, 304-B IPC and 3/4 D.P. Act, Police Station- Mohanlalganj, District Lucknow.

It appears from the record that an application to recall PW-7 namely O.P. Mishra (I.O.) was preferred by the applicants under Section 311 Cr.P.C., which was rejected by the trial Court vide order dated 09.02.2023. The order dated 09.02.2023 on reproduction reads as under:-

"पत्रावली प्रस्तुत। पुकार पर अभियुक्तगण मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित। गवाह पी.डब्ल्यू.-6 विशाल भारद्वाज, जिलाधिकारी आजमगढ़, उपस्थित।

उपरोक्त गवाह का साक्ष्य अंकित किया गया। इस स्तर पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-311 दं.प्र.सं. प्रस्तुत करते हुए पी.डब्ल्यू.-7 ओ.पी.मिश्रा को पुनः साक्ष्य हेतु तलब किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर अभियोजन की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा आपत्ति दर्ज करते हुए कथन किया गया पी.डब्ल्यू.-7 से विस्तृत जिरह पूर्व में की जा चुकी है, उक्त साक्षी से कौन सा प्रश्न पूछना है, यह अंकित नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

सुना व अवलोकन किया।

अवलोकन से विदित है कि आज साक्षी पी.डब्ल्यू.-6 विशाल भारद्वाज की साक्ष्य अंकित की गयी है। उक्त साक्षी के द्वारा मृतका का मृत्युकालिक बयान अंकित करने के सम्बन्ध में पत्रावली पर मृत्युकालिक बयान न होने के कारण याद न होने का कथन किया है। पत्रावली पर अभियुक्त की ओर से उपरोक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से विवेचक, जिसको सम्मन करने हेतु निवेदन किया गया, को पी.डब्ल्यू.-7 के रूप में परीक्षित हो चुका है। जिसके बयान के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि मृतका का मृत्युकालिक बयान साक्षी

पी.डब्लू-6 विशाल भारद्वाज, तत्कालीन एस.डी.एम. मोहनलालगंज द्वारा अंकित किये जाने का कथन किया है। ऐसा कोई अन्य तथ्य शेष नहीं है, जिस पर उक्त साक्षी को जिरह करने हेतु तलब किये जाने का निवेदन किया गया है। प्रार्थना पत्र के द्वारा जिस बिन्दु पर जिरह किये जाने का कथन किया गया है उस पर विस्तृत जिरह की जा चुकी है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-311 दं.प्र.सं. स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तदुसार प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-311 दं.प्र.सं. निरस्त किया जाता है।

अभियोजन पक्ष की ओर से कथन किया गया कि प्रकरण में अन्य कोई साक्षी परीक्षित कराया जाना शेष नहीं है, अभियोजन साक्ष्य समाप्त हो गयी है। अतः पत्रावली वास्ते बयान अभियुक्तगण अंतर्गत धारा-313 दं.प्र.सं. दिनांक 21.02.2023 को पेश हो। अभियुक्तगण नियत दिनांक पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहें।"

It further appears from the record that another application dated 27.02.2023 to recall PW-6 was preferred under Section 313 Cr.P.C., which was also rejected by the trial Court vide order dated 27.02.2023. The order dated 27.02.2023 on reproduction reads as under:-

"पत्रावली प्रस्तुत। पुकार पर अभियुक्तगण लक्ष्मीनारायण व जगत नारायण की हाजिरी माफी द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत। आज पत्रावली अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा-313 दं.प्र.सं. अंकित किये जाने हेतु नियत है।

पत्रावली पर अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मृतका के मृत्यु कालिक बयान को द्वितीयक साक्ष्य से साबित कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि प्रस्तुत मामले में मृतका का मृत्यु कालिक बयान 15.10.2000 को एस.डी.एम. मोहनलालगंज, लखनऊ द्वारा अंकित किया गया था परन्तु उक्त साक्षी ने न्यायालय में अपने साक्ष्य के दौरान उक्त मृत्यु कालिक बयान के सम्बन्ध में याद न होने का कथन किया है, इसलिये द्वितीयक साक्षी के रूप में विवेचक को तलब कर मृत्यु कालिक बयान साबित कराये जाने हेतु अभियोजन को निर्देशित किये जाने का निवेदन किया गया।

उक्त प्रार्थना पत्र पर विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि दिनांक 09.02.2023 को अभियोजन साक्षी संख्या-6 की जिरह अंकित की गयी थी तथा उक्त दिनांक पर अभियोजन द्वारा अपना साक्ष्य समाप्त किया गया था। उक्त दिनांक पर न्यायालय द्वारा बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-311 दं.प्र.सं. निरस्त करते हुए पत्रावली वास्ते बयान अंतर्गत धारा-313 दं.प्र.सं. हेतु दिनांक 21.02.2023 को नियत की गयी। दिनांक 21.02.2023 को एक नये अधिवक्ता का वकालतनामा प्रस्तुत करते हुए पुनः स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। आज अभियुक्तगण की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र उनके पूर्व नियुक्त अधिवक्ता द्वारा दिया गया तथा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन की ओर से कथन किया गया कि न्यायालय पत्रावली में पूर्ण प्रयास के साथ खोजने पर भी मृतका का मृत्यु कालिक कथन मिल नहीं रहा है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित के विरुद्ध न्यायालय द्वारा कार्यवाही की गयी है। ऐसा कोई विधान नहीं है कि अभियोजन को किसी साक्षी / साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिये दबाव डाला जाए। द्वितीयक साक्ष्य के रूप में साबित कराने हेतु मूल अभिलेख की फोटोप्रति या कार्बन प्रति, आदि का उपलब्ध होना आवश्यक है, जो पत्रावली में संलग्न नहीं है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का उद्देश्य मात्र वाद के निस्तारण में विलम्ब कारित करना है। प्रस्तुत प्रकरण के विवेचक को पी. डब्लू-7 के रूप में परीक्षित कराया जा चुका है और उक्त साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा मृतका के मृत्यु कालिक बयान के सम्बन्ध में विस्तृत जिरह की जा चुकी है। अतः बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना, दिनांकित 27.02.2023 निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

सुना व अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 09.02.2023 को साक्षी पी. डब्लू -6 विशाल भारद्वाज की साक्ष्य अंकित की गयी थी तथा अभियोजन द्वारा साक्ष्य

समाप्त किये जाने पर पत्रावली वास्ते बयान अंतर्गत धारा-313 दं.प्र.सं. हेतु नियत की गयी। आज अभियुक्तगण की ओर से इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन को निर्देशित कर मृतका का मृत्यु कालिक बयान साबित कराया जाए, चूंकि मृतका का मृत्यु कालिक बयान पत्रावली पर नहीं है और इस सम्बन्ध में पी. डब्ल्यू-6 के द्वारा पत्रावली पर मृत्युकालिक बयान न होने के कारण याद न होने का कथन किया गया, क्योंकि विवेचक द्वारा दौरान विवेचना एस.डी.एम. पी.डब्ल्यू-6 का बयान अंकित किया गया था और मृतका का मृत्यु कालिक बयान का अवलोकन कर उसका इंड्राज सी.डी. में भी किया गया था, इसलिये विवेचक को द्वितीयक साक्षी के रूप में तलब कर पुनः परीक्षित कराये जाने का निवेदन किया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण के विवेचक को पी. डब्ल्यू-7 के रूप में पूर्व में परीक्षित कराया जा चुका है तथा विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में की गयी समस्त कार्यवाही के सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अभियोजन को मौका दिया गया है, तथा साक्षी द्वारा उसकी मुख्य परीक्षा में किये गये समस्त कथनों पर बचाव पक्ष द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षा की जा चुकी है तथा दिनांक 09.02.2023 को भी बचाव पक्ष की ओर से धारा-311 दं.प्र.सं. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवेचक पी.डब्ल्यू-7 के पुनः तलब कर जिरह करने हेतु निवेदन किया गया था, जिसमें कथन किया गया था कि कुछ प्रश्न पूछने छूट गये हैं, चूंकि उन प्रश्नों का उल्लेख प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया था और बचाव पक्ष को उक्त साक्षी से जिरह हेतु पर्याप्त अवसर दिया जा चुका था, इसलिये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-311 दं.प्र.सं. निरस्त किया गया। पुनः आज अभियुक्त की ओर से नये रूप से उपरोक्त प्रार्थना पत्र दिनांकित 27.02.2023 प्रस्तुत किया गया है तथा पुनः विवेचक को तलब किये जाने हेतु अभियोजन को निर्देशित किये जाने का निवेदन किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण मात्र प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करना चाहता है। चूंकि मृतका का मृत्यु कालिक बयान पत्रावली पर मौजूद नहीं है। जिस सम्बन्ध में माननीय जनपद न्यायाधीश को भी अवगत कराया जा चुका है और उनके द्वारा सम्बन्धित कर्मचारीगण के विरुद्ध जाँच भी खोल दी गयी है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 27.02.2023 निरस्त किया जाता है।

चूंकि प्रस्तुत प्रकरण न्यायालय में लम्बित अति प्राचीनतम वाद है और प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित एक्शन प्लान के अंतर्गत भी शामिल है, अतः अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि अग्रिम दिनांक पर अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कथन अंतर्गत धारा-313 दं.प्र.सं. अंकित करायें, अगर किसी भी अभियुक्त के द्वारा हाजिरी माफी दी जाती है अथवा अनुपस्थित रहता है तो अभियुक्त की जमानत निरस्त कर दी जायेगी।

पत्रावली वास्ते बयान अभियुक्तगण अंतर्गत धारा-313 दं.प्र.सं. दिनांक 03.03.2023 को पेश हो।"

Both the aforesaid order(s) dated 09.02.2023 and 27.02.2023 were challenged before this Court by the applicants by means of an application preferred under Section 482 Cr.P.C. bearing No. 3195 of 2023 (Laxmi Narain and others vs. State of U.P. and others) and this Court vide order dated 04.04.2023 disposed of the said application. The relevant portion of the order dated 04.04.2023 on reproduction reads as under:-

"Adverting to the facts of this case in hand, it transpires that the S.T. No.343/2003, arising out of Crime No.304/2000 is pending since 2003 and the applications, under Section 311 Cr.P.C. came to be moved by the present applicants at a belated stage, in order to cause delay in disposal of the aforesaid trial, therefore, the prayer for quashing the the impugned orders dated 09.02.2023 & 27.02.2023 is refused as this Court does not find any illegality, impropriety and incorrectness in the same. There is no abuse of court's process either.

However, it is needless to mention that in case, the learned trial Court

concerned finds that the application dated 17.03.2023 moved by the present applicants, under Section 311 Cr.P.C. still remains, the same shall be disposed of, expeditiously by a speaking and reasoned order strictly, in accordance with law.

With the aforesaid observation, the instant application is finally disposed of."

From above quoted portion of the order dated 04.04.2023 passed by this Court, it appears that after considering the merits of the orders impugned before it dated 09.02.2023 and 27.02.2023, in specific terms, observed that the prayer for quashing the impugned orders dated 09.02.2023 and 27.02.2023 is refused as this Court does not find any illegality, impropriety and incorrectness in the same. It further appears that this Court with regard to pending application dated 17.03.2023 moved by the applicants under Section 311 Cr.P.C. observed that the same shall be disposed of, expeditiously by a reasoned and speaking order strictly, in accordance with law.

In compliance of the aforesaid, the trial Court considered the application dated 17.03.2023 preferred by the applicants under Section 311 Cr.P.C. and after due consideration, rejected the same by means of order dated 12.10.2023. The order dated 12.10.2023 on reproduction reads as under:-

"प्रार्थनापत्र दिनांकित 17.03.2023 अन्तर्गत धारा-311 दं०प्र०सं० प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण लक्ष्मी नारायण, जगत नारायण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना अधिकारी द्वारा एस०डी०एम० मोहनलालगंज का बयान दिनांक 15.10.2000 अंकित किया गया था जो कि सी०डी०-12 में है। चूंकि मूल डी०डी० को न्यायालय के समक्ष साबित नहीं कराया गया है, सी०डी० में उल्लिखित डी०डी० जो कि धारा 63 के तहत द्वितीयक साक्ष्य के रूप में साबित किया जा सकता है। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण को यह प्रश्न पूछना है कि क्या विवेचनाधिकारी द्वारा मृतका का उपचार किये गये बलरामपुर के०जी०एम०सी० के डाक्टरों के बयान अंकित किये गये थे तथा क्या विवेचनाधिकारी द्वारा एस० डी०एम० मोहनलालगंज का बयान भी अंकित किया गया था एवं मृतका को कौन से उपचार दिये गये थे? अतः विवेचनाधिकारी को सी०डी० 12 में वर्णित डी०डी० को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में पुनः पी० डब्ल्यू 07 के रूप में पुनः तलब किया जाना आवश्यक है।

उक्त प्रार्थनापत्र पर विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा आपति कर कथन किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में पी०डब्ल्यू 07 तत्कालीन विवेचक ओम प्रकाश मिश्रा को परीक्षित कराया जा चुका है। केस डायरी के पर्चा नं०12 में मृतका के मृत्युकालीन बयान का अवलोकन कर विवेचना का अंकन किया गया है, जिस पर अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा जिरह पूर्ण की जा चुकी है, जो पी०डब्ल्यू 07 के बयान में पृष्ठ संख्या-3 पर अंकित है। सी०डी० के पर्चा नं०12 में अवलोकित बयान मृतका को मृत्युकालीन बयान के रूप में ग्रहण करने का कोई विधिक प्राविधान नहीं है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

दं०प्र०सं० की धारा-311 के अनुसार-आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति-"कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की, जो हाजिर हो, यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो, परीक्षा कर सकता है, किसी व्यक्ति को, जिसकी पहले परीक्षा की जा

चुकी है पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है, और यदि न्यायालय को मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है, तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा।"

पत्रावली के विस्तृत परिशीलन से स्पष्ट है कि पी.डब्ल्यू.07 ओम प्रकाश मिश्रा का साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है तथा इस साक्षी की प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित प्रत्येक पहलूओं पर विस्तृत जिरह की गयी है। साक्षी का बयान जो पत्रावली पर उपलब्ध है तथा उस अनुक्रम में विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत जिरह से स्पष्ट है कि प्रार्थनापत्र में पूछे गये प्रश्नों पर साक्षी से प्रत्येक बिन्दुओं पर जिरह की गयी है, जोकि पी० डब्ल्यू.07 के बयान के पृष्ठ संख्या-3 पर अंकित है, पुनः उन्हीं बिन्दुओं पर उपरोक्त साक्षी को तलब किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

उपरोक्त वाद के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों व धारा-311 को प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये साक्षी को पुनः बुलाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः उक्त के सन्दर्भ में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांकित 17.03.2023 अन्तर्गत धारा-311 स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

उपरोक्तानुसार प्रार्थनापत्र दिनांकित 17.03.2023 अन्तर्गत धारा-311 दं०प्रं०सं० निरस्त किया जाता है।"

It reflects from the impugned order dated 12.10.2023 as also the application preferred by the applicants dated 27.03.2023 that the same was preferred for recalling PW-7 namely O.P. Mishra (I.O.).

From the relevant portion of above quoted order(s) dated 09.02.2023, 27.02.2023 and 12.10.2023, it appears that at the stage of 313 Cr.P.C., the applicants moved all the aforesaid applications and with regard to witness PW-7, the applications were moved on the ground that dying declaration was recorded by Vishal Bharadwaj/PW-6/S.D.M, Mohanlalganj, Lucknow at that relevant point of time.

Taking note of the observations made by the trial Court in the orders dated 09.02.2023 and 27.02.2023 affirmed by this Court vide order dated 04.04.2023, as indicated above, and the observations made by the trial Court in the impugned order dated 14.10.2023 and the principles related to recall of witness under Section 311 Cr.P.C. settled by the Hon'ble Apex Court as also the fact that earlier order dated 09.02.2023 passed by the trial Court rejecting the prayer to recall PW-7 has already been affirmed by this Court vide order dated 04.04.2023, this Court does not find any illegality in the impugned order dated 12.10.2023. Accordingly, the instant application under Section 482 Cr.P.C. is hereby dismissed.

Order Date :- 20.11.2023

Arun/-